रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2008/कार्तिक 30, 1930
No. 616] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2008/KARTIKA 30, 1930

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 809(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (3) के खंड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (अध्यक्षों और अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते और सेवा शर्तें) नियमावली, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

"3. वेतन और भत्ते :

(1) उपनियम (2) में यथा उपबंधित को छोड़कर, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार मंहगाई वेतन और भत्ते सहित 80,000 रु. प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा जिसमें से सेवानिवृत्ति लाभ सम्बंधी पेंशन राशि को कम कर दिया जाएगा । वे आवास किराया भत्ते, यात्रा भत्ते और टेलीफोन सुविधाओं के पात्र होंगे जो कि भारत सरकार के सचिव को उपलब्ध हैं ।"

यह संशोधन 6 जून, 2006 से लागू होगा ।

[सं. एफ. 7-7/2008-एम.सी.]

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2008

G.S.R. 809(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of Section 24 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in National Commission for Minority Educational Institutions (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairpersons and other Members) Rules, 2006 :—

"3. Salaries and Allowances :

(1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), the Chairman and every Member shall be paid a salary of Rs. 80,000 per month with Dearness Pay and Allowances less the pension equivalent to retirement benefits according to the instructions of the Ministry of Finance. They shall be entitled to House Rent Allowance, travelling allowance and telephone facilities as admissible to a Secretary to the Government of India."

The amendment shall take effect from 6th June, 2006.

[No. F. 7-7/2008-MC]

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

4614 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.